POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 14.10.2025

1. थाना सेक्टर-113 पुलिस द्वारा अवैध देशी पटाखों के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **14.10.2025** को **थाना सेक्टर-113 पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध देशी पटाखों के साथ 02 अभियुक्त 1. अजित कुमार पुत्र गोविंद शाह 2. रजनीश पुत्र रमाकांत सिंह को श्मशान घाट सेक्टर-123 के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 04 प्लास्टिक के कट्टे जिनमें विभिन्न ब्राण्ड के देशी पटाखे है, बरामद किए गए है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. अजित कुमार पुत्र गोविंद शाह निवासी ग्राम कुटिहाड़, थाना पटेल चौक, अररिया (बिहार) वर्तमान पता पर्थला खंजरपुर, सेक्टर-122, थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब -24 वर्ष।
2. रजनीश पुत्र रमाकांत सिंह निवासी मोहडा घाट, थाना अलौली, खगरिया (बिहार) वर्तमान पता ग्राम इटैडा, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 23 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0- 433/2025 धारा 223(क),288 बीएनएस व 5/ 9(ख) विस्फोटक अधिनियम, थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

04 प्लास्टिक के कट्टे जिनमें विभिन्न ब्राण्ड के देशी पटाखे

2. थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **14.10.2025** को **थाना बीटा-2 पुलिस** द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से अभियुक्त फराज पुत्र मुज्जफर हसन को ATS गोल चक्कर चौराहा से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार रजि0नं0- TN14P0210 बरामद की गई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 12.10.2025 की रात्रि में अभियुक्त फराज द्वारा अपनी कार रजि0नं0- TN14P0210 की बेचने के लिए वादी को थाना बीटा-2 क्षेत्रांतर्गत सेक्टर- पी 3 में बुलाया गया था। दोनों में आपस में कहा सुनी हुई तो अभियुक्त फराज द्वारा अपने साथियों से संपर्क कर बुलाया गया। अभियुक्त फराज व उसके साथी द्वारा वादी के साथ गाली गलौच करते हुए अपने साथ लिए अवैध शस्त्र से वादी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया जिससे वादी के पैर में गोली लग गई थी। गोली लगने के बाद में अभियुक्त फराज व उसके साथी वादी को धमकी देते हुए वहाँ से भाग गए। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया था। अभियुक्त फराज को आज दिनांक 14.10.2025 को गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य साथियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

फराज पुत्र मुज्जफर हसन निवासी पुराना बाजार, कस्बा व थाना कैराना, शामली।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0- 471/2025 धारा 352/109/351(3)/324(4)/3(5) बीएनएस, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

घटना में प्रयुक्त कार रजि0नं0- TN14P0210